

दिनांक	आज्ञा पत्र	तारीख
10.10.11	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसोर्डेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। बहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / बहल किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक <u>12.01.23</u> को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p>	<p>✓</p>
12.01.23	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसोर्डेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेसोर्डेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये थे। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति फर्की नहीं है। प्रत्यक्ष अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निम्न से इजलास चुनाव करा। पत्रावली फांल सुकर देकर नक्के के रूप में कर बाद तत्तीय तत्तीय तत्तीय टाफत हो।</p> <p style="text-align: center;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झनू)</p>	